न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 06/20 **निर्णय दिनांकः– 28–02–2020**
(आरसीएमएस संख्या 2020/00042)

1. गोरूराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार निवासी जोड़ीपट्टा तहसील चूरू हाल 22 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 25–05–2018
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–

1. श्री रोहिताश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–05–2018 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व क़ानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 18 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि चक 22 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 4/45 के किला नम्बर 1 ता 20 की 20 बीघा व किला नम्र 21 ता 25 में 18–18 बिस्वा भूमि इस प्रकार कुल 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। जिसके किला नम्बर 21 ता 25 में 02–02 बिस्वा भूमि में रास्ता कटा हुआ है। उक्त रास्ता उपयोग व उपभोग में नहीं आने की स्थिति में अपीलांट द्वारा उक्त भूमि की

...य अपील अधिकारी
बीकानेर

किस्म परिवर्तन करने व उक्त भूमि अपीलांट के हक में आवंटन कराने हेतु पेश किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर कैम्प कोर्ट का सहारा लेते हुए अपीलांट का वादपत्र खारिज कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र की बहस हेतु निर्धारित चल रहा था तथा प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार की कोई बहस नहीं सुनी गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा एक ही दिनांक को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का निर्णय करते हुए उसी दिना आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट का वादपत्र खारिज कर दिया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा रास्ते की अनुपयोगी भूमि को सक्षम धोषित कराने का वादीगण ने दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि यदि रास्ते को बन्द कर दिया जाता है या रास्ते की प्रविष्ठी को अभिलेख से हटा दिया जाता तो अन्य काश्तकार प्रभावित होंगे। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट के मुरब्बें में निहित अनुपयोगी भूमि है जिसकी धोषणा हेतु धोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में न तो तनकीयात् कायम की गई ना ही किसी प्रकार का कोई साक्ष्य ली गई ना ही अपीलांट को साक्ष्य व सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि चक 22 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 4/45 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ते की भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनाथ हेतु आरक्षित भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा की मांग की गई है। अपीलांट द्वारा जिस भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है उक्त भूमि ग्रामवासियों के आवागमन हेतु काम आने वाली भूमि है। चूंकि वादगत् भूमि मौके पर रास्ते हेतु आरक्षित भूमि होने के कारण व कब्जे काश्त के अभाव में अपीलांट का दावा खारिज किया गया है। जो सही है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि चक 22 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 4/45 के किला नम्बर 21 ता 25 में 02–02 बिस्वा भूमि में रास्ता कटा हुआ है। उक्त रास्ता उपयोग व उपभोग में नहीं आने की स्थिति में अपीलांट द्वारा उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन करने व उक्त भूमि अपीलांट के हक में आवंटन कराने व खातेदारी अधिकारों की धोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र अदालत मातहत द्वारा खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 22 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 4/45 के किला नम्बर 1 ता 20 की 20 बीघा व किला नम्बर 21 ता 25 में 18–18 बिस्वा भूमि इस प्रकार कुल 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। जिसके किला नम्बर 21 ता 25 में 02–02 बिस्वा भूमि में रास्ता कटा हुआ है। उक्त रास्ता ग्राम वासियों के उपयोग व उपभोग में नहीं आने की स्थिति में अपीलांट द्वारा उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन करने व उक्त भूमि अपीलांट के हक में आवंटन कराने व खातेदारी अधिकारों की धोषणा हेतु इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मातहत के समक्ष वादपत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र की बहस हेतु निर्धारित चल रहा था तथा प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुने बिना अपीलांट का वादपत्र प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया गया। जबकि मौके पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है जिसकी धोषणा करवाने का अपीलांट/वादीगण कानूनन अधिकारी है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में स्टेट का जवाब प्राप्त किया गया। स्टेट के जवाब में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक हित में उपयोगी व रास्ते के काम में आने वाली भूमि है। ऐसी स्थिति में रास्ते के उपयोग व उपभोग की भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है।

प्रकरण में अपीलांट के इस तर्क को यदि स्वीकार भी कर लिया जावे कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आदेश जैर अपील पारित करते हुए सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है तथा वादपत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी की बहस हेतु निर्धारित चल रहा था, परन्तु तब भी यदि अपीलांट के वादपत्र पर मनन किया जावे तो यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष रास्त की भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा वादपत्र के माध्यम से चाही गई है। इस संबंध में यह तथ्य निर्विवाद हैकि चक 22 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 4/45 के किला नम्बर 21 ता 25 में 02—02 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु स्वीकृत था, ऐसी स्थिति में सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अपीलांट को अधिकारी नहीं माना जा सकता। यदि उक्त रास्ते को बन्द कर दिया जाता है तो अन्य काश्तकारों को अपने खेत में आवागमन हेतु असुविधा होना स्वाभाविक है। लिहाजा केवल मात्र अपीलांट को हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य काश्तकारों को उनके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि अपीलांट को उक्त रास्ते की भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है तो अन्य ग्राम वासियों व काश्तकारों को अनावश्क रूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा तथा अनावश्यक रूप से कानूनी पेचिदगियॉ उत्पन्न होंगी। ऐसीस्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दु का सहारा लेते हुए प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं पाते है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25—05—2018 उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 28—02—2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सत्यमेव जयते
बीकानेर

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.12 15:05:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: